Reconstruction of the Rivulets

41. Shri Amit Sihag, M.L.A.: Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) whether it is a fact that the Government has reduced the time period for the reconstruction of the rivulets from 20 years to 15 years as per its policy decision; and

(b) if so, the number of farmers of district Sirsa and Dabwali sub-division benefitted from the above said policy ?

Sh. Manohar Lal, Hon'ble Chief Minister, Haryana

(a) Sir, Government has not reduced the time period/age for the rehabilitation/ remodeling of watercourses (written as rivulets in question) from 20 years to 15 years as per its policy of 2019. Instead, Government on the demand raised by various farmers, as a special measure, has allowed to Rehabilitate/Remodel the watercourse aged between 15 to 20 years, if it is damaged more than 75%. However, for such measure 25% of the cost of rehabilitation/remodelling is required to be deposited by Water User Association.

(b) As the policy has been approved by Govt. only in May, 2019, its benefits will be visible during the coming years. However, approx. 395 No. farmers of district Sirsa and Dabwali sub-division have been benefitted from the above said policy as they have got extension of their lined watercourses in 20000 ft length because of the revised norms of 40 ft per acre CCA instead of 24 ft per acre of CCA.

नालों का पुनर्निर्माण

41. **श्री अमित सिहाग, एम0एल0ए0 :** क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि –

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार ने अपने नीतिगत निर्णय के अनुसार नालों का पुनर्निर्माण करने की समयावधि को 20 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष कर दिया है; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त नीति से जिला सिरसा तथा डबवाली उप–मण्डल के कितने किसान लाभान्वित हुए हैं ?

श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा

(क) श्रीमान जी, सरकार ने 2019 की अपनी नीति के अनुसार जलमार्गों (नालों) की मुरम्मत के लिए समय अवधि/ आयु 20 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष नहीं की हैं। इसके बजाए, विभिन्न किसानों की मांग पर सरकार ने एक विशेष योजना के अन्तर्गत, 15 से 20 वर्ष के बीच की आयु के जलमार्गों को 75 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त होने पर दोबारा बनाने की अनुमति दी हैं। हालांकि, इस तरह के जलमार्गों के पुनर्वास/मुरम्मत की लागत का 25 प्रतिशत, जल उपभोक्ता समिति द्वारा जमा किया जाना आवश्यक हैं।

(ख) सरकार द्वारा यह नीति मई 2019 में ही अनुमोदित की गई है, इसलिए इसका लाभ जमीदारों को आने वाले वर्षो के दौरान दिखाई देगा। इस नीति से सिरसा एवं डबवाली उप–मंडल के लगभग 395 किसान लाभान्वित हुए हैं क्योंकि संशोधित मानंदड को 24 फुट प्रति एकड़ कृषि कमान क्षेत्र से बढ़ाकर 40 फुट प्रति एकड़ करने से उनके जलमार्गों को 20000 फीट तक पक्का करके बढ़ा दिया है।